

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(5)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 08.11.2016

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	ज्योति शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं गृह विभाग, जयपुर	सिविल जज कैडर परीक्षा-2016 के साक्षात्कार हेतु।
2.	प्रीति गोयल कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	आर.जे.एस. परीक्षा 2016 साक्षात्कार हेतु।
3.	रचना वैष्णव कनिष्ठ विधि अधिकारी	अतिरिक्त आयुक्त, चम्बल परियोजना, कोटा	सिविल न्यायाधीश संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा 2016 के साक्षात्कार हेतु
4.	मनोज कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी	अधिशाषी अभियंता, खान विभाग, जयपुर (रिट्स)	सिविल न्यायाधीश परीक्षा-2016 (RJS) के साक्षात्कार हेतु
5.	मुकेश कुमार सांवरिया कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय, कालेज शिक्षा, जयपुर	राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2016 के साक्षात्कार हेतु।
6.	शिवानी शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	प्रारम्भिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सिविल जज कैडर परीक्षा-2016 के साक्षात्कार हेतु।
7.	अरविन्द कुमार चतुर्वेदी कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजकीय वादकरण, विधि प्रकोष्ठ -4, शासन सचिवालय, जयपुर	राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2016 के साक्षात्कार हेतु।
8.	कमलेश शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजकीय अधिवक्ता, जोधपुर	Interview of the Rajasthan Judicial Examination, 2016
9.	वीना मोहनानी कनिष्ठ विधि अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट परीक्षा (आर.जे.एस., सन् 2016) के साक्षात्कार हेतु।
10.	गगनदीप गोवर कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला परिषद, श्रीगंगानगर	सिविल न्यायाधीश परीक्षा-2016 (RJS) के साक्षात्कार हेतु
11.	विकास चौधरी कनिष्ठ विधि अधिकारी	अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर	राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016 के साक्षात्कार हेतु

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव